

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

5

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ; 10
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	5,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	25,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से 15 अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ; 20
(2) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	21,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से 25 अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	13,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है । 30

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसरण में संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क 35 के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल 40 रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

5

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिक्लित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

10

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

15

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुदाय के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुदाय से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

20

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुदाय के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुदाय से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

25

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिक्लित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, डाई प्रतिशत की दर से ।

भाग 2

30

कर्तिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

आय-कर की दर

1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—

35

(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—

(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर

10 प्रतिशत ;

(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर

10 प्रतिशत ;

40

(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —

10 प्रतिशत ;

(अ) केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबैंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;

45

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबैंचर, जहां ऐसे डिबैंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं

20 प्रतिशत ;

(vi) किसी अन्य आय पर

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—		
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—		
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;	
(आ) धारा 115ड में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	5
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ई) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;	
(उ) सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;	10
(ज) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुद्धान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञाप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	20 प्रतिशत ;	15
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख) (i) (च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है,] आय पर,—	20 प्रतिशत ;	20
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	25
(ए) सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	20 प्रतिशत ;	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	30
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ओ') अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—		35
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;	
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुद्धान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञाप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	20 प्रतिशत ;	40
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	45
(ঃ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख) (ii) (आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	20 प्रतिशत ;	50
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	

(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेश फीस के रूप में आय पर—

- | | | |
|----|---|--------------|
| | (I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| | (II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है | 10 प्रतिशत ; |
| 10 | (ज) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (झ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| | (ए) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं है] | 20 प्रतिशत ; |
| | (ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| 15 | 2. किसी कंपनी की दशा में,— | |
| | (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,— | |
| | (i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| | (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (iv) किसी अन्य आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| 20 | (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,— | |
| | (i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| | (iii) सरकार या किसी भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेश ब्याज के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; |
| 25 | (iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेश स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुद्धान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर सफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञाति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है— | |
| 30 | (अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| | (आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| | (इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है | 10 प्रतिशत ; |
| 35 | (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेश स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]— | |
| 40 | (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है | 50 प्रतिशत ; |
| | (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| | (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| | (ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है | 10 प्रतिशत ; |
| 45 | (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेश फीस के रूप में आय पर,— | |
| 50 | (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है | 50 प्रतिशत ; |
| | (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है | 30 प्रतिशत ; |
| | (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है | 20 प्रतिशत ; |
| | (ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है | 10 प्रतिशत ; |
| 55 | (vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| | (viii) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं है] | 20 प्रतिशत ; |
| | (ix) किसी अन्य आय पर | 40 प्रतिशत। |

55 स्पष्टीकरण—इस भाग को मद 1(ख)(1) के प्रयोजन के लिए, “वैदिकान से आय” और “आनेवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनयम के अध्यय 12क में हैं।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(iii) प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ;

(आ) इस भाग की मद 2 में, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या 20 धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज के अधीन प्रभार्य अनुषंगी फायदे या धारा 115ख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में यथा विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में “अग्रिम कर” नहीं है या धारा 115क या धारा 115ख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115ख या धारा 115ख या धारा 115ख या धारा 115ख या धारा 115खग या धारा 115खग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है या धारा 115खक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदा है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (ii) और मद (iii) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस 30 भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक नहीं है

कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है

उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है

4,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है

24,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैसठ वर्ष से कम आयु की है—

40

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक नहीं है

कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है

उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है

500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से 45 अधिक हो जाती है ।

(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है

20,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक नहीं है

कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है

उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है

11,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए वही कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है

कुल आय का 10 प्रतिशत ;

(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है

1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है

3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो उस आय की रकम से अधिक है जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उत्तरे भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगा ।

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, 5 तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के रहते हुए लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास- 10 गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता 15 हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ; 20

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रोप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्फैट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा । 25

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा । 30

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी । 35

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, 40

(i) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, 45 जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, 50 जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, 55 जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

